ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट
"માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા"
ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष-6 अंक : 69

सहयोग शुल्क : ₹ 1 / सितंबर : 2022

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

दिव्यांगजनों के लिए बनाए गएं कानूनों की सही जागृति ही उनके विकास का पथप्रदर्शक बन सकती हैं ।
- संत श्री ॐऋषि प्रितेशभाई

समाज में दिव्यांगजनों को बराबरी का मौका और अवसर देना ही सरकार की प्राथमिकता है ।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेब्रलपाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटी से असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदनपत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाणपत्र/दस्तावेज

सिविल सर्जन का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाणपत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाणपत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

भारतीय संविधान दिव्यांगजनों सहित सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय के संबंध में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। परन्तु वास्तविकता में, सामाजिक-मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारणों की वजह से दिव्यांगजन भेदभाव और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। दिव्यांग लोगों के साथ भेदभाव के कारण दिव्यांगता की मात्रा दुगनी हो जाती है। आम सार्वजनिक अनुभूति और पूर्वधारणा के कारण दिव्यांगजनों के कौशल और क्षमता को काफी हद तक कम आँका गया है, जिसके कारण कम उपलब्धियों का दोषपूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है । इसके कारण उनमें हीन भावना उत्पन्न होती है और उनका विकास अवरूद्ध होता है । दिव्यांगता के अर्थ को रहस्यपूर्ण नहीं रखने और दिव्यांगता के मिथकों और गलतफहमियों का मुकाबला करने के लिए हम सब ने स्वयं को शिक्षित करने में एक लंबी समयावधि ली है। हमें प्रतिदिन इन नवीन अवधारणाओं को क्रियाशील बनाए रखने की जरूरत है ताकि वे पुराने नकारात्मक मनोभाव और अनुभूतियां प्रकट न हो सकें ।

संविधान द्वारा सभी नागरिकों को दिए गएं स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अधिकारों के आधार पर समय-समय पर विभिन्न कानून और नितियों का निर्धारण कर दिव्यांगजनों को समाज में बरोबरी का दर्जा और सम्मान देने का प्रयास किया जाता है। दिव्यांगजनों को समाज में समान अवसर प्रदान करने के लिए निर्धारित नीतियों और कानूनों का पालन जितना जरुरी है उतना ही जरुरी है उन नीतियों और कानून के प्रति लोगों की जागृति बढ़ाना । सरकारों इस दिशा में उचित प्रयास करें यह इच्छनीय हैं ।

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

सितंबर : 2022, पृष्ठ संख्या : 16

वर्ष-6 अंक : 69

✦ प्रेरणास्त्रोत और संपादक ✦

संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

✦ सह-संपादक ✦

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

✦ संपर्क-सूत्र ✦

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

✦ मुद्रक ✦

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

दिव्यांग व्यक्ति कौन है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) 'दिव्यांगता' को "एक छत्र शब्द के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें हानि, गतिविधि की सीमाएं और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन शामिल हैं। हानि शरीर के कार्य या संरचना में एक समस्या है; एक गतिविधि सीमा किसी कार्य या क्रिया को निष्पादित करने में किसी व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई है; जबकि भागीदारी रिस्ट्रिक्शन एक व्यक्ति द्वारा जीवन स्थितियों में शामिल होने में अनुभव की जाने वाली समस्या है। इस प्रकार दिव्यांगता एक जटिल घटना है, जो किसी व्यक्ति के शरीर की विशेषताओं और उस समाज की विशेषताओं के बीच बातचीत को दर्शाती है जिसमें वह रहता है।

भारत में 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार, 2.68 करोड़ से अधिक लोग दिव्यांग हैं जो कुल जनसंख्या का लगभग 2.21 प्रतिशत है।

देश में दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, 2007 में भारत ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी), 2006 की पुष्टि की। यूएनसीआरपीडी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत एक व्यापक दस्तावेज है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने सदस्य देशों के लिए एक ढांचा स्थापित करना है। भारत ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 को दिव्यांग

व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से एक विशेष कानून भी पारित किया है, ताकि दिव्यांगता कानून को मानकों के अनुरूप बनाया जा सके।

यहां 21 दिव्यांगों की लिस्ट दी गई है जिन्हें भारत के आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत पहचाना गया है :

- अंधापन
- ब्लाइंडनेस
- कुष्ठ से ठीक हुए व्यक्ति
- बहरापन (बधिर और सुनने में कठिन)
- लोकोमोटर दिव्यांगता
- बौनापन
- बौद्धिक दिव्यांगता
- मानसिक बिमारी
- ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
- सेरेब्रल पाल्सी
- मस्कुलर डिस्ट्रोफी
- क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडिशन
- स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज
- मल्टीपल स्क्लेरोसिस
- स्पीच एंड लेंगुएज डिसेबिलिटीज
- सिकल सेल रोग
- बहरा-अंधापन सहित अनेक दिव्यांगताएं
- एसिड अटैक पीड़ित
- पार्किंसंस रोग

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की संक्षिप्त जानकारी

भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता (व्यक्तिगत), समानता तथा बन्धुत्व सुनिश्चित करता है, तथा विकलांगता ग्रसित नागरिक भी भारत के मानवीय विविधता के एक अनिवार्य अंग है।

1. यह कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए हें तथा उसकी अभिपुष्टि कि है और इस प्रकार एक अन्तर राष्ट्रीय घोषणा में मान्यता प्राप्त अधिकारों को प्रोन्नत करने, संरक्षण देने के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित की है।

विकलांगताग्रसित व्यक्तियों को निम्न अधिकार प्राप्त हैं:

- पूर्ण सहभागिता एवं समावेश सहित सत्यनिष्ठा, गरिमा, तथा सम्मान का।
- मानवीय विविधता का उपभोग मानवीय अन्तर्निभरता का।
- शर्मिन्दगी, अपशब्द अथवा अन्य किसी प्रकार से अशक्तिकरण तथा रूढ़िबद्धता से मुक्त जीवनयापन का।
- अन्य के साथ समानता के आधार पर सभी नागरिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आर्थिक

अधिकार जिनकी गारंटी अन्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानूनों में दी गयी है – का उपभोगकर्त्ता होना।

भारतीय संघ ने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 63वें वर्ष में "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार का अधिनियम निम्न प्रकार से पारित किया है :

1. **दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम-1995)**

यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेतद 253 सह पठित संघ सूची की मद क्रम संख्यां 13 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। यह एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता की उद्घोषणा को कार्यान्वित करता है और उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, बाधारहित परिवेश का सृजन, सामाजिक सुरक्षा, इत्यादि का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों, राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों, स्थानीय निकायों सहित यथोचित सरकारों द्वारा एक बहु कार्यक्षेत्र सहयोगात्माक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

2. **ऑटिजम, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियिम-1999**

यह अधिनियम राष्ट्रींय न्यास के गठन, स्थायनीय स्तर समितियां, न्यास की जवावबदेही और निगरानी का प्रावधान करता है। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के चार वर्गों के कानूनी अभिरक्षकों और उनके लिए यथासंभव स्वातंत्र जीवनयापन के लिए समर्थकारी परिवेश के सृजन के प्रावधान करता है।

भारतीय संविधान दिव्यांगजनों सहित सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय के संबंध में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। परन्तु वास्तविकता में, सामाजिक-मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारणों की वजह से दिव्यांगजन भेदभाव और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। दिव्यांग लोगों के साथ भेदभाव के कारण दिव्यांगता की मात्रा दुगनी हो जाती है। आम सार्वजनिक अनुभूति और पूर्वधारणा के कारण दिव्यांगजनों के कौशल और क्षमता को काफी हद तक कम आँका गया है, जिसके कारण कम उपलब्धियों का दोषपूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है। इसके कारण उनमें हीन भावना उत्पन्न होती है और उनका विकास अवरूद्ध होता है। दिव्यांगता के अर्थ को रहस्यपूर्ण नहीं रखने और

दिव्यांगता के मिथकों और गलतफहमियों का मुकाबला करने के लिए हम सब ने स्वयं को शिक्षित करने में एक लंबी समयावधि ली है। हमें प्रतिदिन इन नवीन अवधारणाओं को क्रियाशील बनाए रखने की जरूरत है ताकि वे पुराने नकारात्मक मनोभाव और अनुभूतियां प्रकट न हो सकें।

3. नि:शक्त व्यक्ति अधिकार (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995

स्वतंत्रता के बाद से लेकर नि:शक्त व्यक्ति अधिकार (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधिनियमित होने तक दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। इसलिए उनके कल्याण और पुनर्वास के लिए निरन्तर कार्य करने के उपाय उपलब्ध कराने के लिए एक वैधानिक तन्त्र की जरूरत थी। यह अधिनियम सुगम्यता, नौकरियों में आरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुनर्वास पर केंद्रित रहा है।

4. दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण हेतु विभाग

नीतिगत मामलों और क्रिया-कलापो के सार्थक रूझानों पर ध्यान केंद्रित करने और दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण के उद्देश्य से 12 मई, 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को अलग विभाग बनाया गया। विभाग की कल्पना है - एक समस्त समावेशी समाज का निर्माण करना जिसमें दिव्यांगजनों की उन्नति और विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं ताकि वे सृजनात्मक, सुरक्षित और प्रतिष्ठित जीवन जी सकें।

5. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

नि:शक्त व्यक्ति अधिकार (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुरूप दोहरे उद्देश्यों सहित, उसके सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भी केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया जो 19.04.2017 से प्रभाव में आया है। यह अधिनियम समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने, पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और पुनर्वास के माध्यम से दिव्यांगजन के पूर्ण और प्रभावी समावेश को सुनिश्चित करने के उपाय उपलब्ध कराता है।

6 सहायक यंत्रों / उपकरणों की खरीद / फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) स्कीम

सहायक यंत्रों / उपकरणों की खरीद / फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) स्कीम के तहत पिछले तीन वर्ष के दौरान 5624 कैंपो के माध्यम से 7.60 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए 465.85 करोड़ रूपए की अनुदान सहायता का उपयोग किया गया । योजना के अंतर्गत देशभर में सुपात्र दिव्यांगजनों को 3730 मोटरयुक्त तिपहिया साइकिलें वितरित की गई । 248 मैगा कैंप / विशेष कैंपो का आयोजन किया गया, जिनमें एडिप योजना के अंतर्गत सहायक यंत्रों / उपकरणों के वितरण के लिए 27 राज्यों को कवर किया गया ।

7. बच्चों की श्रवण दिव्यांगता पर कार्य

बच्चों की श्रवण दिव्यांगता पर काबू करने के लिए कोकलियर इंप्लांट सर्जरियों के उद्देश्य से देशभर में 172 अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया। आज की तारीख में 839 कोकलियर इंप्लांट सर्जरियाँ सफलतापूर्वक पूरी की गई है और उनके पुनर्वास का कार्य चल रहा है।

8. शैक्षिक सशक्तिकरण

शैक्षिक सशक्तिकरण के अंतर्गत कक्षा 9 से एमफिल / पीएचडी स्तर के छात्रों सहित और विदेशों में अध्ययन हेतु सरकार पांच छात्रवृत्ति योजनाएं, नामतः प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना और समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं ।

9. भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र

सरकार ने भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी), ओखला, दिल्ली की स्थापना की है । इस केन्द्र का मुख्य उद्देश्य श्रवण बाधित व्यक्तियों के लाभ के लिए शिक्षण एवं भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान कार्य के आयोजन के लिए श्रमशक्ति का विकास करना है । 6000 शब्दों का संकेत भाषा शब्दकोश तैयार करने की कार्रवाई चल रही है ।

10. विशिष्ठ दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीय संस्थान

विशिष्ठ दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के विषय में, भारत सरकार ने विभाग के तहत विशिष्ठ दिव्यांगताओं में 7 राष्ट्रीय संस्थान (एनआई) स्थापित किए हैं। ये मानव संसाधन विकास में संलग्न हैं और दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास एवं अनुसंधान तथा विकास सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। राजनंदगांव (छत्तीसगढ़), नैल्लोर (आंध्रप्रदेश), देवानगीर (कर्नाटक) और नागपुर (महाराष्ट्र) में 4 नए संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। आईजोल में 1 दिव्यांगता अध्ययन केंद्र स्थापित किया जा रहा है।

11. भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

सरकार ने भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर के आधुनिकीकरण के लिए आधुनिक सहायक उपकरणों के उत्पादन और निगम द्वारा देश भर में इस समय लाभान्वित किए जा रहे 1.57 लाख लाभान्वितों के विरूद्ध लगभग 6.00 लाख लाभान्वितों के लाभ के लिए कुल 286.00 करोड़ रूपए की लागत को मंजूरी दी है।

12. राज्य स्पाइनल इंजूरी केंद्रों की स्थापना

नई पहलों में सरकार राज्य स्पाइनल इंजूरी केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर स्पाइनल इंजूरी के समेकित प्रबंधन हेतु ध्यान केंद्रित कर रही है। योजना के अंतर्गत राज्य राजधानी / संघ राज्य क्षेत्रों के जिला अस्पताल से संबद्ध 12 बैड वाले समर्पित व्यापक पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जायेंगे। सरकार दिव्यांगता खेलो के लिए तीन केंद्रों अर्थात जीरकपुर (पंजाब), विशाखापट्टनम (आंध्रप्रदेश) और ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

13. सिविल सोसाइटिस की भागीदारी

सरकार का मानना है कि सभी पणधारकों, राज्य सरकारों / गैर सरकारी संगठनों सिविल सोसाइटिस की भागीदारी भी होनी चाहिए ताकि विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों / कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने तथा दिव्यांगजनों को समाज में स्वतंत्र और प्रतिष्ठित ढंग से जीवन जीने के अवसर प्रदान किए जा सकें।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2011 का व्यवहार्य प्रारूप_: लक्ष्य एवं कारण वत्कव्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकार आधिनियम, 2011

भारत ने विकलांगता ग्रसित व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते की अभिपुष्टि की है तथा सभी विकलांगता ग्रसित व्यक्तियों के सम्पूर्ण माननीय अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं को विकलांगता के आधार पर बिना किसी प्रकार के भेदभाव के प्राप्त करना सुनिश्चित एवं प्रोन्नत करने की जिम्मेदारी ली है। इस अन्तर राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए, देश का यह कर्तव्य होता है कि संयुक्त राष्ट्र समझौता में मान्यता प्राप्त अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए समुचित कानून पारित करे।

भारत ने एशिया प्रशान्त क्षेत्र में विकलांगता ग्रसित व्यक्तियों की समानता तथा सम्पूर्ण सहभागिता के एक हस्ताक्षरकर्ता के रुप में अपनी जिम्मेदारियों की पूर्ति हेतु विकलांग व्यक्ति (समान अधिकार, अधिकारों का संरक्षण तथा सम्पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 पारित किया था। यह कानून 15 वर्षो से कानूनी किताबों में है तथा विकलांगता ग्रसित व्यक्तियों का विधिक क्षेत्रों में सशक्तिकरण का प्रमुख आधार रहा है। यद्यपि विधि क्षेत्र के सशक्तिकरण की आवश्यकता को निसंदिग्ध मान्यता दिया जाता हे, यह भी माना जाता है कि यू.एन.सी.आर.पी.डी. द्वारा मान्यता प्राप्त अनेक अधिकारों को विकलांग व्यक्ति अधिनियम में सम्मिलित नहीं किया गया है। यहां तक कि मान्यता प्राप्त अधिकार भी समझौते के सिद्धान्तों से पूर्ण रुप से मेल नहीं खाते हैं।

इसके साथ ही, यू.एन.सी.आर.पी.डी. की यह मान्यता है कि विकलांगता एक विकासशील अवधारणा है तथा विकलांगता विकृति सहित व्यक्तियों एवं प्रवृतिमूलक और पर्यावरण बाधाओं के बीच अन्तर्क्रिया का परिणाम है जो दूसरों के साथ समाज में समानता के आधार पर प्रभावी सहभागिता को रोकता है। दूसरी ओर विकलांग व्यक्ति अधिनियम ने विकलांगता की विकृति आधारित विस्तृत परिभाषा उपलब्ध की है। परिणाम स्वरुप, अधिनियम में जिन विकृतियों का उल्लेख नहीं है। ऐसे लोगों को अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित रखा जाता है।

जहां तक वर्तमान विकलांगता अधिनियम का प्रश्न है, कहीं भी विकलांग व्यक्तियों की समानता तथा पक्षपातहीनता के अधिकार की अनिवार्यता का उल्लेख नहीं है । तथा केवल कुछ विकलांगताग्रसितों को चयन के आधार पर कुछ अधिकारों की मान्यता है । अतः यह प्रस्ताव है कि वर्तमान विकलांगता कानूनों को ऐसे विस्तृत कानूनों से बदला जाय कि जो सभी व्यक्तियों के सभी अधिकारों को मान्यता देते हों ।

इसके लिए, यह प्रस्तावित है कि नए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम में -

क) सभी विकलांग व्यक्तियों को समानता तथा पक्षपात हीनता की गारंटी मिले।

ख) सभी विकलांग व्यक्तियों की कानूनी क्षमता को मान्यता दी जाये तथा ऐसे कानूनी क्षमता के व्यवहार जहां कही भी आवश्यक हो सहयोग दिया जाये।

ग) विकलांग महिलाओं द्वारा सामना की जा रही बहुत सारी एवं बदतर भेदभाव को ध्यान में रखते हुए लैंगिक दृष्टिकोण अधिकारों तथा कार्यक्रम हस्तक्षेप दोनों में आरंभ किया जाये ।

घ) विकलांग बच्चों के विशिष्ट दुर्बलता को मान्यता देना और यह सुनिश्चित करना कि उनके साथ अन्य बच्चों जैसा ही समानता के आधार पर व्यवहार हो।

ङ) घर में पड़े रहने वाले विकलांग व्यक्तियों, संस्थानों में विकलांगताग्रसितों तथा अत्यधिक सहायता की आवश्यकता सहित व्यक्तियों के साथ भी विशेष कार्यक्रम हस्तक्षेप अनिवार्य रुप से लागू हों।

च) एक विकलांगताधिकार अभिकरण की स्थापना हो, जो विकलांगताग्रसित व्यक्तियों के साथ सक्रिय भागीदारी करते हुए विकलांगता नीति और कानूनों के निर्माण की सुविधा उपलब्ध करवाए, विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव बरतने वाले संरचनाओं को हटाए तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए मानकों तथा मार्गदर्शन के समुचित अनुपालन का नियमन करे ताकि इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों के संरक्षण, उन्नयन तथा उपभोग की गारंटी सुनिश्चित हो सके।

छ) गलत समझे जानेवाले कार्यो तथा आचरण के विरुद्ध नागरिक एवं आपराधिक मामलों को विनिर्देशित करे।

वोइस टू दिव्यांग

नवजीवन चेरिटेबल ट्रस्ट संचालित ड़ॉक्टर हरिकृष्ण डाह्याभाई स्वामी स्कूल फोर मेन्टली डिसेबल्ड ते मनोदिव्यांग छात्रोंने अलग अलग स्थानों पर आयोजित हर घर तिरंगा के अमृत महोत्सव उत्सव में हिस्सा लिया था, जिसके अंतर्गत 13 अगस्त के दिन संस्था में चित्र स्पर्धा और झंडे वितरित करने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था । 14 अगस्त के दिन सवेरे माणेकचोक में आयोजित पदयात्रा और शाम को राणीप विश्वकर्मा मंदिर में आयोजित चित्र स्पर्धा में हिस्सा लिया था । 15 अगस्त के दिन सवेरे मेमनगर में आयोजित पदयात्रा और दूपहर को करन फाउन्डेशन द्वारा आयोजित चित्र स्पर्धा में और शाम के समय स्मार्ट स्ट्रीट कार्यक्रम में देशभक्ति गीत पर ग्रुप डान्स की प्रस्तुति की थी । 13 अगस्त से 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभागी बनकर हर घर तिरंगा के अमृत महोत्सव उत्सव में हिस्सा लिया था ।

नवजीवन चेरिटेबल ट्रस्ट संचालित डॉ.हरिकृष्ण डाह्याभाई स्वामी स्कूल फोर मेन्टली डिसेबल्ड के मनोदिव्यांग छात्रों के लिए कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिस में छात्रो, अभिभाववक और स्टाफ ने भजन किर्तन किए थे, छात्रों और शिक्षकों ने पारंपरित वेशभूषा में गरबे और भजन किए थे ।

हमारे मनोदिव्यांग बच्चों ने 15 अगस्त स्वातंत्र्य दिन ड्रोइंग कम्पीटिशन, संगीत और अलग अलग खेलों का आयोजन कर बडे उत्साह के साथ मनाया ।

गायत्री विकलांग मानव मंडल के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया । हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदीजी ने विकलांग भी देश और समाज का एक अभिन्न अंग है और उन्हें विकलंगा नहीं लेकिन दिव्यांग जैसा सुंदर नाम दिया है । देश के प्रति अपना कर्तव्य मानकर हमने भी सभी दिव्यांग भाइ-बहनों ने साथ मिलकर रेली का आयोजन किया था । लायन्स क्लब के प्रेसिडन्ट और अन्य सदस्यों ने साथ मिलकर रेली का आयोजन किया था और गायत्री विकलांग मानव मंडल के आंगन में राष्ट्रवंदना कार्यक्रम भी आयोजित किया था । कार्यक्रम में सभी बच्चों ने हिस्सा लेकर ध्वजवंदन कर राष्ट्रगान किया था, कार्यक्रम में बच्चों को गीफ्ट दी गई थी, साथ ही चोकलेट और बिस्कीट भी बांटे गये थे । संस्था के स्थापक रुक्ष्मणी देवी ने देश हित के काम साथ मिलकर करने की बात की थी । । वडोदरा में भी रेली का आयोजन किया गया और संजयभाई के सहयोग से बच्चों को बिस्किट और चोकलेट बांटे गये थे । नरेन्द्रभाई के आयोजन से दिव्यांग भाई-बहनों ने रेली का सफलतापूर्क आयोजन किया गया । सभी बच्चों को राष्ट्रगीत का अर्थ और महत्व समझाया गया था, 15 अगस्त स्वातंत्र्य दिन और 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन के बीच क्या भेद है यह भी बच्चों को समझाया गया । बच्चों ने वेशभूषा कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक किया गया था ।

विशेष शिक्षक की आवश्यकताः

- विशेष शिक्षक लर्निंग डिसेबिलिटी, ओटिझम स्पेकट्रम डिस ओर्डर, अन्य व्यवहार और विकासलक्षी चिंताओं से ग्रस्त बच्चों और किशोरों के उपचारात्मक शिक्षा योजनाएँ प्रदान करने के लिए ।
- उनके निदर्शन में छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखकर पाठ्य डिझाइन करना और उन तक पहूंचाने की जिम्मेदारी ।
- बच्चों के साथ काम करने के अनुभवी को प्राधान्यता दी जाएगी ।

नौकरी का प्रकारः पूर्णकालिन

तनख्वाहः ₹ **12,000.00** - रुपए से लेकर ₹ **20,000.00** रुपए महीना

अनुसूचिः

- दिन

शैक्षिक योग्यताः स्नातक (लघुत्तम शैक्षिक योग्यता)

अनुभवः विशेष शिक्षा के क्षेत्र में १ वर्ष का अनुभव

भाषा की जानकारीः हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी

વિશેષ શિક્ષકની આવશ્યકતા

- વિશેષ શિક્ષક લર્નિંગ ડિસેબિલિટી, ઓટિઝમ સ્પેક્ટ્રમ ડિસઓર્ડર, છફ્રઊઁફ્ર , અન્ય વર્તણૂક અને વિકાસલક્ષી ચિંતાઓ ધરાવતા બાળકો અને કિશોરો માટે ઉપચારાત્મક શિક્ષણ યોજનાઓ પ્રદાન કરશે.
- તે/તેણી તેમની દેખરેખ હેઠળ વિદ્યાર્થીઓની વ્યક્તિગત જરૂરિયાતો અને ક્ષમતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને પાઠ ડિઝાઈન કરવા અને પહોંચાડવા માટે જવાબદાર રહેશે.
- બાળકો સાથે કામ કરવાનો અનુભવ ધરાવતા અરજદારોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.

નોકરીના પ્રકાર : પૂર્ણ – સમય

પગાર : ₹ 12,000.00 – ₹ 20,000.00 પ્રતિ મહિને

અનુસૂચિ :

- દિવસ પાળી

શિક્ષણ : સ્નાતક (પસંદગી)

અનુભવ : વિશેષ શિક્ષણ : ૧ વર્ષ (પસંદગી)

ભાષા : હિન્દી, ગુજરાતી, અંગ્રેજી (પસંદગી)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर